Shri Suraj Bhan—Minister of Agriculture;

Shri Ram Jethmalani—Minister o'i Law and Justice:

Dr. Murli Manohar Joshi—Minister of Home Affairs;

Shri V. Dhananjaya Kumar— Minister of Civil Aviation;

Shri Pramod Mahajan—Minister of Defence and Parliamentary Affairs;

Shri Kariya Munda—Minister of Welfare;

Shri Suresh Prabhakar Prabhu— Minister of Industry;

Shri Sartaj Singh—Minister of Health and Family Welfare;

Shri Jaswant Singh—Minister of Finance;

Shrimati Sushma Swaraj—Minister of Information and Broadcasting.

### ANNOUNCEMENT RE. RESIGNATION OF A MEMBER

MR. CHAIRMAN: I have to inform the Members that I had received a letter from Shrimati Leeladevi Re-nuka Prasad, a Member representing the State of Karnataka, resigning her seat in the Rajya Sabha and I accepted her resignation with effect from 22 April, 1996.

#### PAPERSLAID ON THE TABLE

## Bills passed by the! Houses of Parliament daring the 166th Session

SECRETARY-GENERAL: Sir, I lay on the Table a Statement (in English and Hindi) showing the Bills passed by the Houses of Parliament during the Hundred and Seventy-sixth Session of the Rajya Sabha and assented to by the President.

[Placed in Library. See No. LT-17/96]

# ORDINANCES PROMULGATED BY THE PRESIDENT AND ALSO CORRIGENDUM TO ORDINANDI

रक्षा और संसदीय कार्य मंत्री (श्री प्रमोद मतहाजनन ) महोदय निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:-

(1)संविधान के अनुच्छेद 123 के खंड-2 के उपखंड (क) के अधीन निम्नलिखित अध्यादेशोए की एक-एक प्रति अंग्रेजी तथा हिन्दी में:-

(i)राष्ट्रपति द्वारा २६ मार्च,ए १९९६ को प्रख्यापित माध्यस्थम और सुलाह दूसरा अध्यादेश, १९९६ ( १९९६ का संख्यांक ११)।

[Placed in Library. See No. LT—3/96].

(ii)राष्ट्रपति द्वारा 26 मार्च, 1996 का प्रख्यापित कोयला खान भविष्य-निधि तथा प्रकीर्ण उपलब्ध ( संशोधन ) दूसरा अध्यादेश, 1996 ( 1996 का संख्यांक 12 )।

[Placed in Library. See No. LT--4/96]

(iii) राष्ट्रपति द्वारा २७ मार्च, १९९४ को प्रख्याति औद्योगिक विवाद (संशोधन ) दूसरा अध्यादेश, १९९४ ( १९९४ का संख्यांक १३ )।

[Placed in Library. See No. LT-5/96]

(iv)राष्ट्रपति द्वारा २७ मार्च, १९९६ को प्रख्याति कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध ( संशोधन ) दुसरा अध्यादेश, १९९६ ( १९९६ का संख्यांक १४ ।

[Placed in Library. See No. LT—6/96] , . H

(v)राष्ट्रपतिए द्वारा 27 मार्च, 1996 को प्रख्यापित भवन और अन्य सन्निनिर्माण कर्मकार ( नियोजित तथा सेवा शर्तों विनियमन ) दूसरा अध्यादेश, 1996 ( 1996 का संख्यांक 15)।

[Placed in Library See No. LT—7/96]

34

[24 MAY 1996]

(vi)राष्ट्रपति द्वारा २७ मार्च, १९९६ को प्रख्याति भवन और अन्य सन्निपूर्ण कर्मकार कल्याण उपकर दूसरा अध्यादेश, १९९६ ( १९९६ का संख्यांक १६ )।

[Placed in Library. See No. LT— 8/96] (vii)राष्ट्रपति द्वारा २७ मार्च, १९९६ को प्रख्यापित निक्षेपाकार (दुसरा) अध्यादेश, १९९६ ( १९९६ का संख्यांक १७)।

[Placed in Library See No. LT—9/96] (viii)राष्ट्रपति द्वारा २७ मार्च, १९९६ को प्रख्याति उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय न्यायाधीश ( सेवा-शर्तें ) संशोधन दूसरा अध्यादेश, 1996 ( 1996 का संख्यांक १८)।

[Placed in Library. See No. LT—10/s>6]

(xi)राष्ट्रपति द्वारा २७ मार्च, १९९६ को प्रख्याति संविधान ( अनु-सूचित जनजातियां; आदेश ( संशोधन ) दूसरा अध्यादेश, १९९६ ( १९९६ का संख्यांक १९ )।

[Placed in Library. See No. LT—11/96]

(x)राष्ट्रपति द्वारा २७ मार्च,१९९६ को प्रख्याति भारतीय दूरसंचार विनियामक प्रधिकरण ( दूसरा ) अध्यादेश, १९९६ ( १९९६ का संख्यांक २० )।

[Placed in Library. Sen No. LT-12/96]

(xi)राष्ट्रपति द्वारा २५ अप्रैल, १९९६ को प्रेख्यापित लोक प्रतिनिधित्वव ( संशोधन ) अध्यादेश, १९९५ ( १९ का संयांक २१ )।

[Placed in Library. Sec No. LT—13/96]

(2) निम्नलिखित अध्यादेशो के शुद्धि पत्र ( अंग्रेजी में ):-

(i)राष्ट्रपति द्वारा २६ मार्च, १९९६ को प्रखयाति माध्यमस्थम और सुलह दूसरा अध्यादेश, 1996 ( 1996 का संख्यांक ११ )।

[Placed in Library. See No. LT-

(ii)राष्ट्रपति द्वारा २६ मार्च १९९६ को प्रख्याति कोयला खान भविष्य निधि तथा प्रकीर्ण उपबंध ( संशोधित) दूसरा अध्यादेश, १९९५ ( १९९५ का संख्यांक 12)

[Placed in Library See No. LT-4/96] (iii)राष्ट्रपति द्वारा २७ मार्च, १९९६ को प्रख्याति औद्योगिकी विवाद ( संशोधन ) दूसरा अध्यादेश, 19 ) ( १९९६ का संख्यांक १३ )।

[Placed in Library. See No. LT-5/96] (iv) राष्ट्रपति द्वारा २७ मार्च, १९९६ को प्रख्याति भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियांजन तथा सेवा-शर्तें विनियमन ) दुसरा अध्यादेश, १९९६ ( १९९६ का संख्यांक १५ ।

[Placed in Library. See No. LT-7/96] (v)राष्ट्रपति द्वारा २७ मार्च, १९९६ को प्रख्यापित निक्षेपपागर ( दूसरा ) अध्यादेश, 1996 ( 1996 का संख्यांक १७)।

[Placed in Library. See No. LT—?/96] (vi)राष्ट्रपति द्वारा २७ मार्च, १९९६ को प्रख्यामित उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय न्यायाधीश ( सेवा शर्तें ) संशोधन दूसरा अध्यादेश, १९९६ ( १९९६ का संख्यांक १८ )।

[Placed in Library. See No. LT-10/96]

of sitting of Rajya Sabha [Placed in Library. See No. LT— 16/96].

36

(vii) राष्ट्रपति द्वारा २७ मार्च, १९९६ को प्रख्यापित भारतीय दुरसंचार, विनियामक प्रधिकारण ( दुसरा ) अध्यादेश, १९९६ ( १९९६ का संख्यांक २० )।

[Placed in Library. 5<?e No. LT—

(viii) भारत के राजपत्र, दिनांक 19 अप्रैल, 1996 में प्रकाशित, कर्मचारी भविष्य निधि, और प्रकीर्ण, उपबंध ( संशोधन ) अध्यादेश, 1996 ( 1996 का अध्यादेश 2 ), दिनांक 5 जनवरी, 1996।

[Placed '»: Library, See No. Li-14/96] (ix)भारत के राजपत्र, दिनांक 19 अप्रैल, 1996 में प्रकाशित, भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार ( नियोजन तथा सेवा शर्त विनियमन ) अध्यादेश, 1996 ( १९९६ का अध्यादेश ३ ) दिनांक ५ जनवरी, १९९६ ।

[Placed in Library. See No. LT-

(x) भारत के राजपत्र, दिनांक 19 अप्रैल, 1996 में प्रकाशित, भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण उपकर अध्यादेश, १९९६ ( १९९६ का अध्यादेश ४ ), दिनांक ५ जनवरी, १९९७ ।

[Placed in Library. See No. LT-15/96]

(xi) भारत के राजपत्र दिनांक 19 अप्रैल 1996 में प्रकाशित भवन और अन्य सित्रमीण कर्मकार कल्याण उपकर अध्यादेश, १९९६ ( १९९६ का अध्यादेश ४ ) दिनांक जनवरी, 1996

THE LEADER OF THE OPPOSITION (SHRI S. B. CHAVAN): Mr. Chairman, Sir,

MR. CHAIRMAN: Yes, please.

May I maie a small submission?

SHRI S. B. CHAVAN: Sir. on 27th and 28th we do not have any business in the House. Twentyninth happens to be a holiday. Therefore. 1 would request that the House be adjourned till the 30th.

HON. MEMBERS: We support it-

### ANNOUNCEMENT RE. CANCE-LLATION OF SITTINGS OF RAJYA **SABHA**

MR. CHAIRMAN: The suggestion is unanimously carried. And I have to inform the hon. Members that there is some change in the Muharram holiday. As Muharram is being observed on Wednesday, the 29th May, 1996, there will be no sitting dt the House on that day. Instead, the House will sit on Thursday, the 30th May, 1996. The House stands adjour-need till 11.00 A.M. on Thursday, the 30th May, 1996.

The House then adjourned at thirtyone minutes past one of the clock till eleven of the clock on Thursday, the 30th May, 1996.